



उद्यमिता क्षेत्र कौशल परिषद

(भारत सरकार के पंजीकृत उद्यमिता क्षेत्र की परिषद)

ईएसएससी कार्यालय मुरादनगर गाजियाबाद (दिल्ली एनसीआर) - 201206

फोन नं. :1800-120-3272, एक्सटेंशन न-4 वेबसाइट :www.esscindia.org

विज्ञापन संख्या: ESSC/ADV-021021

दिनांक: 02.01.2021

सरदार वल्लभ भाई पटेल युवा उद्यमी उन्मुखी योजना (SVBPYUUY) में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता हेतु विज्ञप्ति

(शिक्षार्थ आइये, उद्यमार्थ जाइये)

उद्यमिता क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा संचालित सरदार वल्लभ भाई पटेल युवा उद्यमी उन्मुखी योजना (SVBPYUUY) उद्यमिता विकास कार्यक्रम के शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता हेतु देश के प्रत्येक राज्य में योग्य संस्थाओं (विश्वविद्यालय/ बोर्ड /कॉलेज/स्कूल/ तकनीकी/व्यवसायिक एवं कौशल संस्थान/अन्य) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं संस्थान के मान्यता हेतु पात्रता मानदंड (जिन संस्थान के पास आवश्यक मानक उपलब्ध हो) अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट www.esscindia.org और विस्तृत में ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) लिंक के साथ उपलब्ध है।

क्र. सं.	संस्थान	संस्थान के प्रकार	आवेदन शुल्क (रु.)	टिप्पणी
1.	PI- Partner Institute पार्टनर संस्थान	विश्वविद्यालय / बोर्ड /संस्थान एक से अधिक संस्थानों के संचालन के रूप में,	56600	केवल एक राज्य में कार्य कर सकते हैं
2.	TI- Training Institution प्रशिक्षण संस्थान	संस्थान जो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है और केवल एक संस्थान के रूप में मान्यता चाहते हैं,	24999	केवल एक संस्थान के लिए लागू
3.	RCI- Recognized College/Institution मान्यता प्राप्त कॉलेज / संस्थान	कॉलेज/संस्थान/विद्यालय जो सरकार के किसी अन्य अंग द्वारा पहले से मान्यता प्राप्त है और केवल एक संस्थान के रूप में मान्यता चाहते हैं,	12150	नए आवेदन तथा केवल एक संस्थान के लिए लागू

ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) प्रारंभ तिथि: 02.01.2021

टिप्पणी- 1. सभी संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी सामान्य अधिसूचनाओं अद्यतन सूचना तथा अनुमोदन प्रक्रिया 2021-22 के लिए आधिकारिक संवाद के लिए नियमित आधार पर अभातशिप की वेबसाइट www.esscindia.org & www.esscindia.org >

Registration>PI/TI Application देखें। संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत तौर पर भौतिक रूप से कोई अन्य संवाद नहीं किया जाएगा।

2. यह योजना बेरोजगार युवाओं को स्वयं की उद्यम स्थापित करने के लिए है जो अभियार्थी ऋण लेकर अपना उद्यम स्थापित करते हैं केवल वही अभ्यर्थी पात्र होते हैं। प्रशिक्षण संस्थान केवल उन्हीं अभियार्थियों का चयन करेंगे जो बेरोजगार होंगे व उनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम होगी।

3. इस योजना में पंजीकरण के 30 दिन के अंदर ही लक्ष्य दिया जाता है लक्ष्य समाप्त हो जाता है तो अगली बहुत लक्ष्य आने तक प्रशिक्षण संस्थान को इंतजार करना होगा।

4. प्रशिक्षण संस्थान को भुगतान राशि रुपया-2360/, पात्र व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि रुपया-1500/, प्रमाणन एवं परीक्षा राशि रुपया-590/,

प्रो.डी.एस.सिंह
निदेशक, ई.एस.एस.सी.